2021/89

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी रामेश्वर बनाम राजस्थान(राज्य)

किस्म प्रकरण–मुन्तकिली प्रा.पत्र प्रकरण संख्या 23 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./सा. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
8/6/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी उपस्थित। बाद मुलाहिजा रीडर रिपोर्ट पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थी की तलवी के साथ–साथ प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 6-7-2021 को पेश हो। Gu.	
6/7/21	वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो. [illegible] व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2/8/21 को पेश हो। [illegible] अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री आबिद अली [illegible] ने वकालतनामा पेश किया	1036-39 / 9/6/21
2/8/21	वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो. [illegible] व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 1/9/21 को पेश हो। [illegible] अप्रार्थी सं. 3 का [illegible] प्रार्थना पत्र मय [illegible] [illegible]	1088 / 17/6/21
1/9/21	वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो. [illegible] व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 15/9/21 को पेश हो। [illegible]	1250 / 6/7/21
15/9/21	वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो. [illegible] व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/9/21 को पेश हो। [illegible]	
22/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि [illegible] पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है [illegible] हो गया है इसलिए प्रार्थी की ओर [illegible] पत्र Infructuous हो [illegible] फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी के कथन से मैं सहमत हूँ अतः प्रार्थी की ओर प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा.पत्र Infructuous हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। Gu.	

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested